भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. **712** जिसका उत्तर
शुक्रवार, 26 जुलाई, 2024/4 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है

काकीनाडा पत्तन का उन्नयन

† 712. श्री जी. एम. हरीश बालयोगी :

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काकीनाडा पत्तन के उन्नयन के संबंध में कोई सर्वेक्षण/ अध्ययन/ अनुसंधान कराया है;

(ख) यदि हां, तो आवंटित/ उपयोग की गई निधियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान काकीनाडा पत्तन द्वारा रोजगार सृजन के साथ-साथ मौजूदा अवसंरचना के उन्नयन हेतु शुरू किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने काकीनाडा पत्तन पर स्थानीय व्यक्तियों के रोजगार में वृद्धि करने के लिए किसी नीति पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): जी हां। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने काकीनाड़ा एंकरेज पत्तन सुविधाओं के सुधार के लिए डीपीआर तैयार करने हेतु सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) के माध्यम से एलएंडटी इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड (एलएंडटी आईईएल) को नियुक्त किया है। मंत्रालय ने 85.83 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत पर इस परियोजना का अनुमोदन किया था जिसके लिए सागरमाला योजना के पत्तन आधुनिकीकरण बुनियाद के तहत 36.67 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी। यह परियोजना 28.02.2024 को पूरी हो गई थी।

(ग): मौजूदा अवसंरचना को उन्नत करने के लिए किए गए कार्यों में मैकेनिकल हैंडलिंग के लिए नए घाटों का निर्माण, नए पत्तन क्षेत्र में अतिरिक्त घाटों का निर्माण, मौजूदा सड़कों को सुदृढ़ करना, मौजूदा ग्रोनिस

और रिवेटमेन्टस की विशेष मरम्मत, कमर्शियल कनॉल और एप्रोच चैनल की ड्रेजिंग शामिल है। आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि काकीनाड़ा पत्तन ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 1000 व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया है।

(घ): सागरमाला कार्यक्रम के तटीय समुदाय विकास बुनियाद के तहत भारत के 21 तटीय जिलों (प्रत्येक तटीय राज्य से 2 और 3 संघ शासित प्रदेशों से प्रत्येक के लिए 1-1) हेतु मानव संसाधन और कौशल आवश्यकता अध्ययन किया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने डीडीयू- जीकेवाई सागरमाला अभिसारिता कार्यक्रम के तहत तटीय जनसंख्या को कुशल बनाने के संबंध में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है। उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सहित तटीय राज्यों में आज की तारीख तक 6,300 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

*****